समाहरणालय, समस्तीपुर।

(जिला नजारत प्रशाखा)

निविदा

01. विभाग का नाम :— समाहरणालय, समस्तीपुर।
02. विज्ञापन दाता का नाम :— जिलाधिकारी, समस्तीपुर।
03. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि :— 29.01.2014 01:00 अपराह्न।
04. निविदा प्राप्त करने का स्थान :— समाहरणालय, समस्तीपुर।
05. निविदा खोलने की तिथि :— 29.01.2014 03:00 अपराह्न।
06. अग्रधन की राशि :— 15,000.00 (पन्द्रह हजार) रूपये।
07. कार्य का विवरण :— जिला अतिथि गृह के पुराने भवन एवं नये भवन को आउट सोर्सिंग के माध्यम से सुचारू रूप से संचालन हेतु।

जिला अतिथि गृह (परिसदन) का आउट सोर्सिंग के लिए शर्तें:—

1. जिला अतिथि गृह, समस्तीपुर के परिसर की सभी कमरों, सभाकक्ष, ड्राईवर एवं बॉडी गार्ड रूम तथा बरामदा सहित सभी आंतरिक परिसर एवं लॉन/बगीचा/रास्ता आदि सहित पूरे बाहरी परिसर की साफ–सफाई सेवा प्रदाता को जिला नजारत के मार्ग निदेश में करानी होगी।
2. सेवा प्रदाता को साफ–सफाई एवं सुन्दरता के दृष्टिकोण से बगीचा/परिसर आदि में फूल, घास आदि का रख–रखाव एवं आवश्यकतानुसार नये पौधों/ नये मौसमी फूलदार पौधों को गमला सहित लगाना होगा।
3. सेवा प्रदाता को कार्य करने हेतु आवश्यक संख्या में कर्मियों को रखना होगा, जिसकी विवरणी जिला नजारत शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
4. आंतरिक रख–रखाव से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य सेवा प्रदाता को जिला नजारत के मार्ग निदेश में करना होगा।
   - (क) जिला अतिथि गृह, समस्तीपुर में लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं विद्यु त सम्बन्धी उपकरणों का दैनिक रख–रखाव एवं आवश्यकतानुसार मरम्मति।
   - (ख) अतिथि गृह के सभी प्रकार के फर्निचर आदि का दैनिक रख–रखाव एवं आवश्यकतानुसार मरम्मति।
   - (ग) बेड सीट/मच्छरदानी/पर्दा/तकिया/तौलिया/मैट आदि का रख–रखाव एवं इनकी दैनिक धुलाई–सफाई।
   - (घ) अतिथि गृह, समस्तीपुर में ठहरे हुए अतिथियों के लिए साबुन/तेल/सैम्पु सहित प्रसाधन की सभी आवश्यक वस्तुएँ।
   - (ड.) जिला अतिथि गृह, समस्तीपुर में पूर्व से उपलब्ध बर्त्तनों का उपयोग किया जायेगा तथा जिसका रख–रखाव एवं आवश्यकतानुसार बर्त्तन का क्रय सेवा प्रदाता के द्वारा ही किया जायेगा। सेवा प्रदाता को रसोई से सम्बन्धित सारे समानों एल0पी0जी0 गैस सहित व्यवस्था नियमानुसार करना होगा।
5. निर्बाध विद्युत व्यवस्था हेतु 62½ के0भी0एम0 प्रदूषण रहित, ध्वनी रहित जेनरेटर जिला अतिथि गृह में अधिष्ठापित करना होगा, जिसकी विद्युत आपूर्त्ति की व्यवस्था अधिष्ठापन सेवा प्रदाता द्वारा सभी भवनों एवं पुरे परिसर के लिए की जायगी। जेनरेटर खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था सेवा प्रदाता को तुरंत करनी होगी। ईंधन आदि की आपूर्त्ति सेवा प्रदाता द्वारा की जायेगी जिसका भुगतान प्रति घंटे की दर के आधार पर संधारित लॉग बूक के विरूद्ध किया जायगा।
6. अतिथियों के लिए चाय, नास्ता एवं भोजन आदि का दर विभाग द्वारा निर्धारित दर पर आधारित होगा। चाय, नास्ता एवं भोजन से आने वाली आय सेवा प्रदाता को देय होगा।
7. उपरोक्त कार्यों के निष्पादनार्थ निविदा दो लिफाफे में प्राप्त की जायेगी। प्रथम लिफाफे में संस्था/व्यक्ति का व्यवसायिक निबंधन संख्या/पैन कार्ड नम्बर/विगत तीन वर्षो का वार्षिक टर्नओवर/स्वच्छता प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता की किसी संस्थान/प्रतिष्ठान में कैटरिंग/हाउस किपिंग का 01 (एक) साल का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। दूसरे लिफाफे में निविदादाता को उपरोक्त सेवा के विरूद्ध मासिक राशि ....अंकित करना होगा, जिसमें जेनरेटर संचालन हेतु प्रति घंटे का दर भीं अंकित करना होगा।
9. जिला प्रशासन की ओर से एक केयर टेकर प्रतिनियुक्त किया जायेगा, जो उपर्युक्त संचालन व्यवस्था की निगरानी करेगा।
10. अतिथि गृह के कमरों का आरक्षण पूर्ववतः जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। किराये से प्राप्त राशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार क्रय समिति को होगा।
12. इस निविदा से संबंधित जानकारी Samastipur.bih.nic.in के वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

जिलाधिकारी,
समस्तीपुर।